

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड राँची।

आरोप पत्रित सरकारी सेवकों की सूची माह-सितम्बर, 2016 तक।

क्र० सं०	निगरानी थाना काण्ड संख्या, तिथि एवं धारा	संबंधित विभाग	अभियुक्तों का नाम एवं पदनाम
1.	निगरानी थाना काण्ड सं०-76/15 दिनांक- 25-12-2015, धारा-379/34/ 120(बी) भा०द०वि० एवं धारा-13(1)(डी), भा० नि० अधि०-1988	गृह विभाग।	दिनेश तुरी, पिता-धनोखी तुरी, सा०-बेड़मुक्कागादी, थाना-मुफस्सिल, जिला-गिरिडीह, तत्कालिन कम्प्युटर ऑपरेटर, मरकच्यों थाना। आरोप पत्र सं०-64/16, दि०-09.09.16
2.	भा०नि० ब्यूरो धनबाद थाना काण्ड सं०-3/16, दिनांक- 04.08.16, धारा-07/13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी) भा०नि० अधि०-1988	ट्रेप केस। 15,000/-	1. प्राथमिकी अभियुक्त जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता (उम्र-50 वर्ष), पिता-श्री राम प्रसाद साह, सा०-शिव सुन्दरी रोड, शिवपहाड़, पो०-दुमका, थाना-नगर दुमका, जिला-दुमका, वर्तमान प्रभारी लेखापाल, जिला बाल श्रमिक कार्यालय, दुमका। 2. अप्राथमिकी अभियुक्त रविन्द्र नाथ गोरई (उम्र-41 वर्ष), पिता-स्व० अजीत गोरई, सा०-रामपुर, पो०-कुरवा, थाना-मुफस्सिल, जिला-दुमका, वर्तमान आदेशपाल, जिला जल स्वच्छता समिति, दुमका। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र सं०-02/16, दि०-27.09.16
3.	निगरानी थाना काण्ड सं०-45/16, दिनांक- 05.06. 2016, धारा-07/13(2) भा०नि० अधि०-1988	ट्रेप केस। 30,000/- (राशि बरामद नहीं)	प्राथमिकी अभियुक्त श्रीमति शिवानी, पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना कार्यालय, टण्डवा (चतरा), जिला-चतरा। अंतिम प्रतिवेदन सं०-66/16, दि०-28.09.16 साक्ष्य की कमी।
4.	भा०नि० ब्यूरो धनबाद थाना काण्ड सं०-08/16, दिनांक-31.08.2016, धारा-07/ 13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी) भा०नि० अधि०-1988	ट्रेप केस। 10,000/-	बलिराम सिंह, पिता-स्व० राम जतन सिंह, ग्राम-बेलबनियाँ, पो०-फेरुसा, थाना-गरखा, जिला-छपरा (बिहार)। वर्तमान पुलिस अवर निरीक्षक, थाना-सरायढेला, जिला-धनबाद। आरोप पत्र सं०-03/16, दि०-27.09.16
5.	भा०नि० ब्यूरो धनबाद थाना काण्ड सं०-01/16, दिनांक-26.07.2016 धारा-07/ 13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी) भा०नि० अधि०-1988	श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग। ट्रेप केस। 40,000/-	ज्योति प्रकाश लाल, पिता-स्व० शिवनाथ पासवान, सा०*पो०-दिधड़ा, थाना-सदर, जिला-मुजफ्फरपुर (बिहार) वर्तमान-लिपिक, जिला नियोजन कार्यालय, देवघर, थाना-नगर, जिला-देवघर। आरोप पत्र सं०-01/16, दि०-22.09.16
6.	भा०नि० ब्यूरो धनबाद थाना काण्ड सं०-02/16, दिनांक-01.08.2016, धारा-07/ 13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी) भा०नि० अधि०-1988	ट्रेप केस। 5,000/-	बालेश्वर यादव, पिता-स्व० तिलकधारी गोप, सा०-घुटिया, पो०-किसगो, थाना-देवरी, जिला-गिरिडीह, वर्तमान पंचायत सेवक, गोविन्दपुर, ई-पंचायत, प्रखण्ड बेरमो, जिला-बोकारो। आरोप पत्र सं०-04/16, दि०-29.09.16
7.	भा०नि० ब्यूरो धनबाद	ट्रेप केस।	राधाकान्त लाल देव (उम्र-55 वर्ष), पिता-स्व०

	थाना काण्ड सं0-04/16, दिनांक- 04.08.2016, धारा-07/ 13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी) भ्र0नि0 अधि0-1988	3,500/-	हरदेवलाल देव, सा0*पो0-सीतापुर, थाना-वीरपुर, जिला-सुपौल (बिहार), वर्तमान लिपिक, अतिरिक्त प्राथमिकी स्वास्थ्य केन्द्र वागडेहरी स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुण्डहीत, थाना-कुण्डहीत, जिला-जामताड़ा। आरोप पत्र सं0-06/16, दि0-29.09.16
8.	भ्र0नि0 ब्यूरो धनबाद थाना काण्ड सं0-05/16, दिनांक- 10.08.2016, धारा-07/ 13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी) भ्र0नि0 अधि0-1988	ट्रेप केस। 10,000/-	प्राथमिकी अभियुक्त सदानन्द हेम्ब्रम, पे0-स्व0 विजय सिंह हेम्ब्रम, सा0-आयता, थाना-मु0 (चाईबासा), जिला-पश्चिमी सिंहभूम, वर्तमान पु0अ0नि0 बालीडीह ओ0पी0, जिला-बोकारो। आरोप पत्र सं0-05/16, दि0-29.09.16
9.	भ्र0नि0 ब्यूरो हजारीबाग थाना काण्ड सं0-01/16, दिनांक-01.08.16 धारा- 07/13(2) सह पठित धारा- 13(1)(डी) भ्र0नि0 अधि0 -1988	भूमि संरक्षण विभाग। ट्रेप केस। 90,000/- (चेक के माध्यम से)	1. प्राथमिकी अभियुक्त राजेश रंजन, पिता-स्व0 शिवनारायण मंडल, सा0-आर्यटोला सबौर, पो0- सबौर, थाना-सबौर, जिला-भागलपुर (बिहार)। तत्कालीन लिपिक, भूमि संरक्षण विभाग, चतरा। 2. अप्राथमिकी अभियुक्त श्री पियुष राजगढ़िया, पिता-पवन राजगढ़िया, सा0-इंजीनियरिंग रोड, डालटेनगंज, थाना-मेदिनीनगर शहर, जिला- मेदिनीनगर (पलामू)। क्रमांक-02 एवं 03 पर आरोप पत्र सं0-01/16, दि0- 29.09.16
10.	निगरानी थाना काण्ड सं0-21/13, दिनांक- 22.05.13, धारा- 109/120(बी) भा0द0 वि0 एवं धारा-13(2) सह पठित धारा-13(1)(ई) भ्र0 नि0अधि0-1988	D.A. Case निगरानी ब्यूरो पी0ई0 सं0-11/12, दिनांक-17.03.12 के जाँचोपरांत मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड राँची के पत्र सं0-654, दिनांक-14.05.13 में दिये गये आदेश के आलोक में कुल-03 प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध सरकारी राशि का दुरुपयोग, दुर्विनियोग कर आय से अधिक चल एवं अचल सम्पत्ति अर्जित करने के आरोप में दर्ज की गयी है।	1. श्री विवेकानन्द चौधरी, कनीय, देवी, पति-श्री विवेकानन्द चौधरी, अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, कोडरमा। 2. श्रीमती शशि प्रभा, 3. श्री रविकान्त चौधरी, पिता-श्री विवेकानन्द चौधरी। क्रमांक 01 पर आरोप पत्र सं0-42/13, दि0- 19.08.13, क्रमांक 02 एवं 03 पर अंतिम प्रतिवेदन सं0-35/14, दि0-19.09.14 साक्ष्य की कमी समर्पित।
11.	निगरानी थाना कांड सं0- 53/16, दिनांक- 28.06.16 धारा- 07/13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी) भ्र0नि0 अधि0-1988	ट्रेप केस। 4,000/-	राजकिशोर प्रसाद, (58 वर्ष), पिता-स्व0 रामपुकार प्रसाद, सा0-चाँदपुर बेला, थाना- जक्कनपुर, पो0- जी0पी0ओ0, जिला-पटना (बिहार) तत्कालीन नाजीर, विरनी प्रखंड, थाना -बिरनी, जिला- गिरिडीह। आरोप पत्र सं0-65/16 दि0-19.09.16